ग्राम पंचायत सेराथाना, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 **(क) प्रस्तावना:-** ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सेराथाना, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विजय मिश्रा	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति आशा देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री परवेश कुमार	02-02-12 से 31-05-13
2.	श्री सुभाष कुमार	01-06-13 से 15-03-16
3.	श्री अमित कुमार	16-03-16 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.सं0	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {लाखों में}
1.	4.2	रोकड़ बही के साथ बैंक का मिलान न करना	0.78
2.	7	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करने बारे	3.70
3.	7.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	9.36
4.	8	औपचरिकता के बिना खरीद करने बारे	3. 02
5.	9	निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण न करना	2 .98
6.	10	प्राक्कलन व माप पुस्तिका का प्रस्तुत न करना	विवरण अनुसार

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत सेराथाना, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 01-09-2016 से 06-09-2016 तक पंचायत कार्यालय सेराथाना में किया गया । आय व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए क्रमश: माह 07 /13, 08/14 व 02/16 तथा 03/14, 12/14 व 06/15 का चयन किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत सेराथाना , विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/-बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 188 दिनांक 06 -09-16 द्वारा सचिव, पंचायत सेराथाना से अनुरोध किया गया ।

4 वितीय स्थिति

ग्राम पंचायत सेराथाना द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व: स्त्रोत :- ग्राम पंचायत सेराथाना के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	32678	89450	122128	66808	55320
2014-15	55320	49223	104543	76578	27965
2015-16	27965	83128	111093	36928	74165

{2} अनुदान :- ग्राम पंचायत सेराथाना के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट-1** में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	215547	3811911	4027458	3535014	492444
2014-15	492444	1782021	2274465	1743486	530979
2015-16	530979	1734218	2265197	1329564	935633

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB N /BAGWAN	20012008189	914908
2.	---DO-----	5005659120	25904
3.	---DO-----	20012083939	295
4.	---DO-----	50056591596	698
		कुल जोड़	**941805**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (1+2):- ₹ 1009798

(ख) दिनांक 31-3-16 को बैंक में कुल जमा राशि :- ₹ 941805

(ग) हस्तगत राशि :- ₹150

(घ) कुल जमा :- ₹ 941955

अन्तर :- घ-क = ₹ 67843

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना :- ग्राम पंचायत सेराथाना की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-16 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्त शेष में ₹ 67853 का अन्तर था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय

पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा । यह खाता पंचायत निधि खाता -क के रूप में जाना जायेगा । इसी तरह नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा । परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ बही व चार पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जो कि अनियमित है । अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5.1 रोकड़ बही को सत्यापित न करने बारे :- अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अवधि 24-07-12 से 11-04-14 तक की सामान्य रोकड़ बही को पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है जिसके आभाव में उक्त अवधि में किए गए आय -व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । अत: उक्त अवधि को रोक़ड़ व्ही को सत्यापित कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए ।

5.2 नियमों के विरुद्ध चार बैंक बचत खातों का खोला जाना :- हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है । जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार चार बैंक बचत खाते खोले गए है । अत: नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए दो अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये ।

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :- हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय

स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये ।

6 गृह-कर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत , गृहकर, इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवयश्क जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके आभाव में गृह-कर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । जो कि एक गम्भीर अनियमितता है । अत: पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

7 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹ 3.70 लाख अधिक व्यय करने बारे

पंचायत सचिव सेराथाना द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान MPLADS के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹369784/- इन अनुदानों में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से ₹**3.70 लाख** अधिक खर्च किए गए । जोकि अनियमित है । इस अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाए ।

7.1 अनुदान ₹ 9.45 लाख का उपयोग न करना :- पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹ 9935633 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ -साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 185 दिनांक 06-09-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सेराथाना को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत सेराथाना द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते

हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 3.02 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , सकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹ 301995 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 186 दिनांक 06-09-16 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत सेराथाना को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत सेराथाना द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 क्रय की गई ₹ 2.98 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित है । परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर ₹298115 की निर्माण व अन्य सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज व जारी करना नहीं दर्शाया गया है । जोकि एक गम्भीर अनियमितता है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :186 दिनांक 06-09-16 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत सेराथाना को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत सेराथाना द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10 निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को उपलब्ध न करवाने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में चयनित माह के निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएँ अंकेक्षण में आवयश्क जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। प्राकलन व माप पुस्तिका के आभाव में कार्य की मात्रा भुगतान की दर व भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 187 दिनांक 06-9-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सेराथाना को अवगत करवाया, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा चर्चा के दौरान अवगत करवाया की तकनीकी सहायक के हड़ताल पर होने के कारण सम्बन्धित रिकॉर्ड अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सका जोकि अनुचितहै । सम्बन्धित रिकॉर्ड को तकनीकी सहायक से लेकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

11 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 187 दिनांक 06-09-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सेराथाना को अवगत करवाया गया , परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत सेराथाना द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

12 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस

सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विविध अनियमितताएं

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।

14 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

15 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवयश्कता है ।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 30/2016–खण्ड–1–6255–6258 दिनाँकः 24.11.2016
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत सेराथाना, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1 (ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट – 2 पैरा -8 के सन्दर्भ में

मनरेगा

क्रम संख्या	वा० संख्या ,माह/वर्ष	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	विवरण	राशि
1.	217 , 03/14	20	बजरी	3150

2.	218 , 03/14	20	बजरी	8190
3.	219 , 03/14	20	बजरी	6300
4.	220 , 03/14	20	सैटरिंग	5250
5.	221 , 03/14	20	सैटरिंग	5250
6.	222 , 03/14	21	सैटरिंग	4200
7.	93 , 12/14	54	बजरी	22050
8.	94 , 12/14	54	बजरी	8400
9.	96 , 12/14	54	बजरी	3937
10.	97 , 12/14	54	सैटरिंग	5250
11.	99, 12/14	55	बजरी	25200
12.	100 , 12/14	55	सैटरिंग	4200
13.	22 , 06 /15	63	रेत+बजरी	18900
14.	42 , 06 /15	67	सैटरिंग	4200
15 .	43 , 06 /15	67	सैटरिंग	8400
16.	44 , 06 /15	67	सैटरिंग	5775
17.	45 , 06 /15	67	सैटरिंग	8400
18.	46 , 06 /15	67	सैटरिंग	5250
19.	44 , 06 /15	67	सैटरिंग	5775
20 .	45 , 06/15	67	सैटरिंग	8400
21.	46, 06/15	67	सैटरिंग	5250
22.	47, 06/15	68	सैटरिंग	5250
23.	48, 06/15	68	सैटरिंग	5250
24.	49, 06/15	68	सैटरिंग	5250
25.	50, 06/15	69	रेत+बजरी	21050
26.	51, 06/15	69	रेत+बजरी	14490
27.	52 , 06/15	69	रेत+बजरी	25200
28.	53, 06/15	69	बजरी	8190
29.	54, 06/15	69	रेत+बजरी	18960
30.	55, 06/15	69	रेत+बजरी	7875

=11=

31.	56, 06/15	69	रेत+बजरी	6300
32.	57, 06/15	70	रेत+बजरी	3150
33.	58, 06/15	70	रेत+बजरी	9450
34.	60, 06/15	71	सरिया	5103
			कुल योग	**₹301995**

=12 =

परिशिष्ट – 3 पैरा -9 के सन्दर्भ में

मनरेगा

क्रम संख्या	**वा० संख्या ,माह/वर्ष**	**रोकड़ बही पृष्ट संख्या**	**विवरण**	**राशि**
1.	217 , 03/14	20	बजरी	3150
2.	218 , 03/14	20	बजरी	8190
3.	219 , 03/14	20	बजरी	6300
7.	93 , 12/14	54	बजरी	22050
8.	94 , 12/14	54	बजरी	8400

9.	96 , 12/14	54	बजरी	3937
10.	99, 12/14	55	बजरी	25200
11	105, 12/14	56	70बैग सीमेंट	17920
12	106 , 12/14	56	70बैग सीमेंट	17920
13	107, 12/14	56	60बैग सीमेंट	15360
14	108, 12/14	56	65बैग सीमेंट	16640
15	109, 12/14	56	60बैग सीमेंट	17920
16.	22 , 06 /15	63	रेत+बजरी	15360
17 .	50, 06/15	69	रेत+बजरी	21050
18.	51, 06/15	69	रेत+बजरी	14490
19 .	52 , 06/15	69	रेत+बजरी	25200
20.	53, 06/15	69	बजरी	8190
21.	54, 06/15	69	रेत+बजरी	18960
22 .	55, 06/15	69	रेत+बजरी	7875
23 .	56, 06/15	69	रेत+बजरी	6300
24 .	57, 06/15	70	रेत+बजरी	3150
25.	58, 06/15	70	रेत+बजरी	9450
26	60 , 06/15	71	1 qtl सरिया	5103
			कुल जोड़ :-	**₹ 298115**